न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–187/2025

प्रार्थी:–

हुकमाराम पुत्र श्री जगनाराम जाति रबारी निवासी ग्राम पंऊ तहसील सिवाना जिला बालोतरा (राजस्थान)।

बनाम

विप्रार्थी:–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. आम्बाराम पुत्र जगनाराम जाति रबारी निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. कविता पुत्री सांवलाराम जाति रबारी (देवासी) निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. कालाराम पुत्र बाबरराम जाति रबारी निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. किरणकुमार पुत्र सांवलाराम जाति रबारी निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. गोकाराम पुत्र उकाराम जाति रबारी निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बालोतरा
7. तुलछाराम पुत्र उकाराम जाति रबारी निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बालोतरा
8. नरे''ाकुमार पुत्र सांवलाराम जाति रबारी निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बालोतरा
9. पारूदेवी पत्नि सांवलाराम जाति रबारी निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बालोतरा
10. वजाराम पुत्र जगनाराम जाति रबारी निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बालोतरा
11. वेनाराम पुत्र जगनाराम जाति रबारी निवासी पंउ तहसील सिवाना जिला बालोतरा
12. सोपुदेवी पत्नि उकाराम जाति रबारी निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बालोतरा
13. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा, पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 28.01.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.रा. धारा 136 के तहत पेश किया गया है संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 70 रकबा क्रमशः 3.3946 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंऊ तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम ''हकमाराम पुत्र जगनाराम'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, जनआधार, पेन कार्ड,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

आधार कार्ड व बैंक डायरी में प्रार्थी का नाम वास्तविक नाम ''हुकमाराम पुत्र जगनाराम'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी की का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में राशनकार्ड, जनआधार, पेन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक डायरी आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''हुकमाराम पुत्र जगनाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 70 रकबा क्रमशः 3.3946 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंऊ तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम ''हकमाराम पुत्र जगनाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के राशनकार्ड, जनआधार, पेन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक डायरी आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''हुकमाराम पुत्र जगनाराम'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''हकमाराम पुत्र जगनाराम'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''हुकमाराम पुत्र जगनाराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 70 रकबा क्रमशः 3.3946 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंऊ तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''हकमाराम पुत्र जगनाराम'' के स्थान पर ''हुकमाराम पुत्र जगनाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 28.01.2026 [illegible] लास सुनाया गया।

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

(सुर[illegible] सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)